राजस्थान राज्य प्रदूषण नियन्त्रण मण्डल
RAJASTHAN STATE POLLUTION CONTROL BOARD
4, संस्थानिक क्षेत्र, झालाना डूंगरी, जयपुर

फोन नं.: 5101871,5101872, ईपीबीएक्सः 5159600,5159699 फैक्सः 5159694–97

क्रमांकः एफ 3 (499) रा.प्र.नि.मं./संस्थापन/2017 2986 दिनांक 17.03.2017

ई–निविदा सूचना संख्या 1/2017–18

राजस्थान राज्य प्रदूषण नियन्त्रण मण्डल की ओर से निम्न हस्ताक्षरकर्ता द्वारा मशीन विद मैन (कम्प्यूटर मय ऑपरेटर) उपयुक्त श्रेणी में पंजीकृत कर्मो से बिड संख्या 1 बोली आमंत्रित की जाती है। बोली प्रपत्र बेवसाईट http://www.eproc.rajasthan.gov.in एवं www.sppp.rajasthan.gov.in पर देखे तथा डाउनलोड किये जा सकते है। बिड डालने की अवधि दिनांक 22.03.2017 से दिनांक 10.04.2017 सांय 3.00 बजे तक रहेगी। उक्त बोली दिनांक 11.04.2017 को सांय 4.30 बजे उक्त कार्यालय में उपस्थित बोलीदाताओं तथा उनके अधिकृत प्रतिनिधियों के समक्ष खोली जाएगी। इस बिड सूचना में कुल 35 मशीन विद मैन है, जिनकी अनुमानित राशि 35 लाख रू. है।

(के॰ सी॰ ए॰ अरूण प्रसाद)
सदस्य सचिव

राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल

4, इंस्टीट्यूशनल एरिया, झालाणा डूँगरी,जयपुर ।

बिड संख्या संस्थापन/1/2017 2986 *दिनांकः* 17.03.2017

निविदा सूचना

राजस्थान राज्य प्रदूषण नियन्त्रण मण्डल, मुख्यालय, संस्थानिक क्षेत्र, झालाना डूँगरी, जयपुर को 35 कम्प्यूटर मय ऑपरेटर(मशीन विद मैन) किराये पर सेवाएं उपलब्ध करवाने हेतु पंजीकृत एवं अनुभवी फर्म/ठेकेदारों/सस्था/एजेन्सियों से नियमानुसार बिड आमंत्रित की जाती है।

क्र. स.	कार्य विवरण	अनुमानित राशि वार्षिक(रू. में)	बयाना राशि (रू. में)	संविदा अवधि	बिड प्रस्तुत करने की दिनांक व समय	बिड खोलने की दिनांक व समय
1	35– कम्प्यूटर मय ऑपरेटर (मशीन विद मैन)	35,00000	70,000	1 वर्ष	10.04.2017 को सांय 3.00 बजे तक	11.04.2017 को सांय 4.30 बजे तक

बिड प्रकाशन से दिंनाक 10.04.2017 दोपहर 12.00 बजे तक निर्धारित शुल्क 500/– रूपये जमा कराकर बेवसाईट से डाउनलोड कर सकते है। शर्ते एवं अन्य विवरण विभागीय वेबसाईट एवं उपापन पोर्टल पर देखे जा सकते है। बिड प्रपत्र एवं बयाना राशि के बैंक ड्राफ्ट/बैंकर्स चैक सदस्य सचिव, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियन्त्रण मण्डल, जयपुर के नाम से देय होगा। बिना बयाना राशि के बिड स्वीकार्य नहीं होगी।

(के.सी.ए.अरूण प्रसाद)
सदस्य सचिव

कमांकः एफ. II (499)/रा.प्र.नि.मं./स्था./2986 **दिनांकः** 17.03.2017

प्रतिलिपीः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैं:–

1. निजी सचिव, अध्यक्ष, रा.प्र.नि.मं., जयपुर।
2. मुख्यालेखाधिकारी, रा.प्र.नि.मं., जयपुर।
3. प्रोग्रामर को भेजकर लेख है कि उक्त बिड को विभागीय वेबसाईट उपानन पोर्टल पर अपलोड करें।
4. सदस्य (बिड समिति), रा.प्र.नि.मं., जयपुर।
5. नोटिस बोर्ड रा.प्र.नि.मं., जयपुर।

(के.सी.ए.अरूण प्रसाद)
सदस्य सचिव

राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल

4, इंस्टीट्यूशनल एरिया, झालाणा डूँगरी,जयपुर ।

बिड प्रपत्र

कम्प्यूटर मय ऑपरेटर (मशीन विद मैन) की सेवाऐं किराये पर ऐजन्सी के माध्यम से दिये जाने हेतु बिड–

1. बिडदाता/फर्म का नाम व पता: ––––––––––––––––––––––––––
(मय दूरभाष/मोबाइल नम्बर तथा ई–मेल) ––––––––––––––––––––––––––
पते (यदि हो) सहित ––––––––––––––––––––––––––
––––––––––––––––––––––––––

2. बिडदाता/फर्म का श्रम विभाग ––––––––––––––––––––––––––
में पंजीयन का क्रमांक एवं दिनांक: ––––––––––––––––––––––––––
3. ई.एस.आई. पंजीकरण संख्या ––––––––––––––––––––––––––
4. पी.एफ. पंजीकरण संख्या ––––––––––––––––––––––––––
5. बिडदाता/फर्म का सेवाकर पंजीयन क्रमांक एवं दिनांक: ––––––––––––––––
6. बिड प्रपत्र देने का पता: सदस्य सचिव, राज0 प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, 4, झालाना संस्थानिक क्षेत्र जयपुर।
7. संदर्भ – बिड सूचना 1/2017–18 दिनांक 22.03.2017
जमा कराने की तिथि 10.04.2017 अपरान्ह 3.00 बजे तक
खोलने की तिथि 11.04.2017 अपरान्ह 4.30 बजे
8. राजकाम्प इनको सर्विस लिमिटेड (RISL) के पक्ष में देय डिमाण्ड ड्राफ्ट रूपये 500/– प्रति निविदा (Process Fees)
9. बिड शुल्क का विवरण – राशि रूपये 500/-
नकद रसीद सं0 –––––––– दिनांक:––––––
डी.डी. न0–––––––––––– दिनांक:––––––
बैंकर्स चैक:––––––––––– दिनांक:––––––
10. अमानत राशि के बैंक ड्राफ्ट/बैंकर्स चैक जो सदस्य सचिव, राज0 प्रदूषण नियंत्रण मण्डल जयपुर के पक्ष में देय हों का विवरण
बैंक का नाम ––––––––––––––––––––
राशि रू. 70,000/–(सत्तर हजार रूपये मात्र)
डी.डी./बैंकर्स चैक सं0 ––––––––दिनांक––––
बैंक का नाम––––––––––––––––––––
11. बिड के लिए मासिक प्रस्तावित दर
प्रति कम्प्यूटर मय ऑपरेटर (मशीन विद मैन)* :– (अंको में) – ––––––––––––––
(शब्दों में) – ––––––––––––––

*नोटः– (i)कम्प्यूटर मय ऑपरेटर के परिश्रमिक की राशि रूपये 8500 + सर्विस टैक्स प्रति माह से अधिक स्वीकार्य नहीं होगी।

12. बिडदाता का विवरण एवं अनुभव प्रमाण पत्र – बिड आवेदन कर्ता अपनी फर्म/एजेन्सी का पूर्ण विवरण, कन्सटीट्यूशन एवं अनुभव का पूर्ण विवरण मय तत्संबंधी प्रमाण पत्रों के संलग्न करें।

13. मैंने/हमनें बिड प्रपत्र के साथ संलग्न सभी शर्तो का ध्यानपूर्वक अवलोकन कर लिया है। हमे सभी शर्ते मान्य होने बाबत् शर्तों पर सहमति के पश्चात् हस्ताक्षर कर दिये है।

हस्ताक्षर बिडदाता

राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल

4, इंस्टीट्यूशनल एरिया, झालाना डूंगरी जयपुर।

कम्प्यूटर मय ऑपरेटर (मशीन विद मैन) की सेवायें किराये पर लेने के लिए मांगी जाने वाली बिड के लिए शर्तेः–

बिडदाता को इन शर्तों को सावधनीपूर्वक पढ लेना चाहिए एवं बिड भरते समय इनकी पूर्णतः पालना करनी चाहिए। बिडदाता को यदि किसी शर्त या कार्य के बारे में कोई सन्देह हो या वह अस्पष्ट लगे तो अपनी बिड प्रस्तुत करने से पहले उसका सदस्य सचिव कार्यालय से स्पष्टीकरण प्राप्त कर लिया जावे। किसी भी शर्त की व्याख्या या विशेष विवरण के संबंध में मण्डल का निर्णय ही अंतिम व मान्य होगा।

1. बिड प्रपत्र, निर्धारित शुल्क जमा कराकर वेबसाईट से डाउनलोड किया जा सकेगा तथा सदस्य सचिव, राजस्थान प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, 4, झालाना संस्थानिक क्षेत्र, जयपुर के नाम करवाया जावेगा। बिड प्रपत्र पर प्रस्तुत दरें ही स्वीकार की जावेगी।
2. बिड की एक हार्डकॉपी ठीक प्रकार से सील बन्द लिफाफे में प्रस्तुत करनी होगी। लिफाफे पर ''संविदा पर रखे जाने वाले कम्प्यूटर मय ऑपरेटर (मशीन विद मैन) की बिड'' अंकित कर उसे सदस्य सचिव, राज0 प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, झालाना, 4 संस्थानिक क्षेत्र, जयपुर को संबोधित करते हुये रजिस्टर्ड डाक/साधारण डाक द्वारा या व्यक्तिशः इस प्रकार से प्रस्तुत करना होगा कि वह निर्धारित तिथि एवं समय तक मण्डल कार्यालय में पहुँच जावे।
3. अमानत राशि तथा RISL की प्रोसेसिंग फीस के रूप में डी.डी./बैंकर्स चैक बिड प्रपत्र के साथ upload करना अनिवार्य है, बिना अमानत राशि तथा RISL की फीस के प्राप्त बिड पर कोई विचार नही किया जावेगा। डी.डी. /बैंकर्स चैक, सदस्य सचिव, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल जयपुर के नाम से देय होगा। राजकीय उपक्रम, निगम, स्वायत्तशासी निकाय जो सरकार, सरकारी उपक्रमों, संघ सरकार या राजस्थान सरकार की कम्पनियों द्वारा नियंत्रित/प्रबन्धित संस्थाओं को अमानत राशि प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं होगी।
4. सफल बिडदाता को बिड स्वीकृति दिनांक से एक सप्ताह के अन्दर–अन्दर स्वंय के खर्चे पर रूपये 1000/– के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर एक अनुबन्ध पत्र भरकर कार्यालय में प्रस्तुत करना होगा जिसका प्रपत्र कार्यालय से प्राप्त किया जा सकेगा।

5. बिड (ठेका) अनुमोदित होने पर जारी कार्य आदेश की तिथि के सात दिवस में वार्षिक ठेके की राशि के 5% के बराबर राशि प्रतिभूति के रूप में सदस्य सचिव, राज0 राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल के पक्ष में डी.डी./बैंकर्स चैक के रूप में प्रस्तुत करनी होगी। प्रतिभूति पर किसी प्रकार का कोई ब्याज देय नही होगा। ठेका अवधि पूर्ण होने के पश्चात ठेका अवधि में कार्य सन्तोषजनक होने तथा किसी प्रकार का विवाद नही होने की स्थिति में प्रतिभूति राशि नियमानुसार वापिस लौटा दी जावेगी। बिडदाता चाहे तो अमानत राशि को प्रतिभूति राशि में समायोजित करा सकेगा।

6. निर्धारित अवधि में अनुबन्ध नही करने अथवा प्रतिभूति राशि जमा नही कराने पर उसकी जमा अमानत राशि जब्त करते हुये बिड निरस्त कर दी जावेगी एवं अन्य बिडदाता की बिड स्वीकृत करने का निर्णय लिया जा सकेगा।

7. प्रत्येक बिडदाता के पास सुचना प्रौघोगिकी अधिनियम 2000 के तहत जारी डिजिटल प्रमाण पत्र होना आवश्यक होगा।

8. यह बिड केवल वही व्यक्ति/फर्म/संस्थाऐं प्रस्तुत कर सकती है जिनका पंजीयन श्रम विभाग, आयकर विभाग पी.एफ. व ई.एस.आई. में हो। साक्ष्य के रूप में उक्त पंजीयन प्रमाण पत्रों की फोटो प्रतियाँ बिड के साथ upload करना अनिवार्य है। बिना पंजीयन प्रमाण पत्रों के आवेदन करने वाली फर्म/व्यक्ति/संस्थाओं की बिड को निरस्त समझा जावेगा।

9. कम्प्यूटर मय ऑपरेटर (मशीन विद मैन) किराये पर कार्य अवधि का ठेका स्वीकृति दिनांक से प्रारम्भ में छः माह की अवधि के लिए होगा। कार्य संतोषप्रद होने पर ठेका आगे बढ़ाया जा सकेगा।

10. कम्प्यूटर मय ऑपरेटर (मशीन विद मैन) की संख्या व योग्यता विवरण –

- **कम्प्यूटर मय ऑपरेटर (मशीन विद मैन) की संख्या :–** लगभग 35
- **कर्मी की योग्यता :–**

  (i) कम्प्यूटर ऑपरेटर की न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता स्नातक होनी चाहिए। उसे विन्डोज/लाइनेक्स एन्वायरमेन्ट (Windows/Linux environment) ऑपरेटिंग सिस्टम का ज्ञान, वर्ड प्रोसेसर, स्प्रेड शीट व इन्टरनेट का ज्ञान/अनुभव एवं कार्यालय संबंधी कार्यों के निष्पादन हेतु कम्प्यूटर पर कार्य करने तथा हिन्दी एवं अंग्रेजी की टाईपिंग का ज्ञान होना आवश्यक है।

  (ii) **कर्मी स्वस्थ्य एवं न्यूनतम 18 वर्ष का होना चाहिए।**

11. **मशीनों का विवरण**– बिडदाता द्वारा स्थापित की जाने वाली मशीनों का निम्नानुसार या इससे उच्च श्रेणी का होना आवश्यक है–

(A) **Computer**- Intel Core i3/ Equivalent AMD based Computer or higher speed, RAM 2/4 GB or higher, Hard disk 250 GB or more, 15" Monitor/TFT or bigger, 10/100/1000 Mbps LAN Card, CD/DVD Writer,

Standard Keyboard, Optical Mouse, Standard Serial, parallel & USB ports Windows 7 or higher, Anti Virus, Preinstalled MS Office, Responsibility of Software license will be borne by the contractor.

(B) **Printer-** Black and White laser printer with speed 15ppm or more. For specific needs, Dot Matrix/ inkjet printer may be taken in lieu of laser printer.

(C) **UPS-** Online/Offline UPS for above Computer and Printer with 30 minutes battery backup.

12. बिडदाता एजेन्सी को वर्तमान में उसके पक्ष में जारी सभी अनुबन्धों का पूर्ण विवरण देना होगा।

13. बिडदाता एजेन्सी उपलब्ध कराये गये कम्प्यूटर ऑपरेटर्स में 15 दिन पूर्व सूचना देकर बदलाव कर सकेगा। फर्म द्वारा उपलब्ध कराये गए कम्प्यूटर ऑपरेटर्स में कुल उपलब्ध कराये गये ऑपरेटर्स की संख्या के 20 प्रतिशत तक स्थायी बदलाव किया जा सकेगा। इससे अधिक स्थायी बदलाव करने से पूर्व मण्डल की पूर्वानुमति आवश्यक होगी।

14. बिडदाता एजेन्सी का सर्विस टेक्स हेतु रजिस्ट्रेशन आवश्यक होगा तथा एजेन्सी को सर्विस टेक्स हेतु दी गई रिटर्न की फोटो प्रतिलिपि प्रस्तुत करनी होगी।

15. सभी कम्प्यूटर्स ऑपरेटर्स को आई डी कार्ड एजेन्सी द्वारा उपलब्ध करवाये जावेगें तथा कार्यालय समय में सभी कम्प्यूटर्स ऑपरेटर्स को आई डी कार्ड साथ रखना आवश्यक होगा।

16. सभी कम्प्यूटर्स ऑपरेटर्स अपने सभी दस्तावेज व तकनीकी योग्यता की जांच सक्षम अधिकारी से कराने के पश्चात् मण्डल की लिखित अनुमति के पश्चात् ही ड्यूटी पर माने जावेगें।

17. कम्प्यूटर मय ऑपरेटर (मशीन विद मैन) पर कार्य करने वाले कर्मी हेतु प्रतिदिन प्रातः 9.30 बजे से सांय 6.00 बजे तक कार्य सम्पादित करना होगा एवं इस अवधि को एक दिन का कार्य दिवस माना जावेगा। कार्य दिवस एवं कार्य समय राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर परिवर्तन किये जाने पर तदानुसार मान्य होगा।

18. सफल बिडदाता कार्य पर जिन कर्मियों को संविदा के आधार पर लगायेगा उनके नाम एवं पते मय दो फोटो कार्यादेश जारी होने की तिथी के 5 दिनों के अन्दर–अन्दर कार्यालय में प्रस्तुत करने होगें। अनुबन्ध की अवधि में यदि किसी कर्मी को बदला जाता है तो उसके बदले नये कर्मी का नाम पता मय फोटो तुरन्त ही प्रस्तुत करने होगें।

19. कम्प्यूटर मय ऑपरेटर (मशीन विद मैन) की संविदा पर उपलब्ध कराने हेतु शेष अन्य शर्तें वित्त विभाग राजस्थान सरकार द्वारा जारी F9 (1) FD-1 (1)Bud 2000 Dated: 28.07.2008 तथा Dated: 01.05.2014 के अनुरूप होगी (संलग्न)।

20. किसी भी तरह के न्यायिक विवादों का न्याय क्षेत्र जयपुर होगा।

21. यदि बिडदाता द्वारा उपलब्ध करवाए जाने वाले कर्मियों द्वारा किसी प्रकार के कानूनी पहलू अथवा न्यायिक कार्यवाही की जाती है तो बिडदाता संस्था/एजेन्सी ही उसके लिए उतरदायी होगी। प्रदूषण नियंत्रण मण्डल उपरोक्त दायित्वों के लिए किसी प्रकार उतरदायी नही होगा।

22. उक्त बिड में भाग लेने वाली फर्म/ एजेन्सी को इस क्षेत्र में (राजकीय/अर्द्ध राजकीय/राज्य शासित निकायों) न्यूनतम दो वर्ष का अनुभव होना आवश्यक है। इसके लिये अनुभव एवं किये गये कार्यो का प्रमाण पत्र संलग्न करना आवश्यक है। बिना अनुभव प्रमाण पत्रों के बिड निरस्त योग्य होगी।

23. बिडदाता ऑपरेटर के पारिश्रमिक से पी.एफ. की राशि स्वयं के स्तर पर काटेगा तथा कर्मचारी एवं नियोक्ता के अंशदान की राशि भविष्य निधि पी.एफ. जमा कराए जाने के साक्ष्य यथा चालान मय ई.सी.आर. की प्रति पिछले माह की आगामी बिल के साथ मण्डल कार्यालय में प्रस्तुत करनी होगी। तत्पश्चात् ही आगामी महिनों के बिल पारित किये जाना सम्भव हो सकेगा।

24. उपलब्ध करवाए गये कम्प्यूटर ऑपरेटर्स में समस्त को हिन्दी/अंग्रेजी टाइपिंग का ज्ञान होना अनिवार्य है एवं कम से कम 10 ऑपरेटर्स को हिन्दी(मंगल फोन्ट) का ज्ञान आवश्यक रूप से होना चाहिये।

25. मण्डल को 35 कम्प्यूटर मय आपरेटर की आवश्यकता है। फिर भी आवश्यकतानुसार कम्प्यूटर ऑपरेटर्स की संख्या में कमी या बढोतरी करने का अधिकार मण्डल कार्यालय का होगा। अतिरिक्त मांग की स्थिति में मैन विद मशीन कार्यादेश देने के 3 दिवस मे उपलब्ध कराना होगा।

26. किसी भी बिड को बिना कारण बताये निरस्त करने का पूर्ण अधिकार मण्डल के अध्यक्ष/ सदस्य सचिव को होगा।

27. बिड के संबंध में किसी प्रकार का विवाद उत्पन्न होने पर उपरोक्त विवाद का निर्णय मध्यस्थ (Arbitrator) द्वारा किया जायेगा। जिसके लिए राज्य मण्डल के अध्यक्ष मध्यस्थ होगें। मध्यस्थ द्वारा दिया गया निर्णय दोनों पक्षकारों को मान्य होगा।

(के.सी.ए.अरूण प्रसाद)
सदस्य सचिव